

## फार्म - दो

वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार .  
(30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 का नियम 14 देखें)  
[केवल विभागीय उपयोग हेतु]

दिनांक d d m m y y Y y

क्रमांक	जमाकर्ता / व्यापारी का नाम व पता	टिन / टीडीएन / पंजीयन संख्या	केन्द्रीय बिक्री कर				
			रूपपत्र के साथ	मॉग के विरुद्ध	पंजीयन शुल्क	ब्याज	अर्थदण्ड
1	2	3	4	5	6	7	8
1-							
2-							
3-							

मूल्य वर्धित कर						
रूप पत्र के साथ	मॉग के विरुद्ध	पंजीयन शुल्क	ब्याज	अर्थदण्ड	समाधान शुल्क	अन्य प्राप्तियां
9	10	11	12	13	14	15

प्रवेश कर						
रूप पत्र के साथ	मॉग के विरुद्ध	पंजीयन शुल्क	ब्याज	अर्थदण्ड	समाधान शुल्क	व्यापार कर
16	17	18	19	20	21	22

अन्य प्राप्तियां	कुल जमा	चालान सं०	चालान का दिनांक	बैंक शाखा / उपकोषागार का नाम और पता	कर्मचारी के हस्ताक्षर	असिस्टेंट कमिश्नर के हस्ताक्षर
23	24	25	26	28	29	30

\*\*\*